

Ref: POWERGRID/NR-I/RTI/2239/2522

Dt.:10.08.2023

To

Adv. Surendra Kumar Sharma (Bhardwaj)
Chamber No.6, Shastri Law Chamber,
Near West Kutchery Gate, Meerut
Mob.09719417152**Subject: Regarding RTI Application Dt.07.07.2023 under RTI Act-2005.**

Sir,

This is in reference to your RTI application Dt.07.07.2023 vide which information under RTI Act, 2005 has been sought by you is as under:

Point No.	Contents of Point	Information provided by POWERGRID
1	आपने श्री अतुल विनायक सिंघल (वरिष्ठ महाप्रबंधक) पावर ग्रिड ग्राम मटौर थाना दौराला जिला मेरठ (उ०प्र०) को दिनांक 20.05.2023 के आदेशानुसार सस्पेंड किया है उनको किस आधार एवं किसकी आख्या पर बिना शॉ कॉज नोटिस दिये एवं बिना विभागीय कार्यवाही के सस्पेंड किया गया है इस विषयक सम्बंध की सम्पूर्ण पत्रावली मय आख्या श्री अशोक कुमार चौहान मुख्य महाप्रबंधक पावरग्रिड मटौर की आख्या सहित पत्रावली की कॉपी सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(2) के तहत प्रदान करने की कृपा करें।	श्री अतुल विनायक सिंघल, वरिष्ठ महाप्रबंधक का निलंबन (Suspension) पावरग्रिड के सेवा नियमों (Service Rules) के अंतर्गत किया गया है। इस मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः इस प्रकरण से सम्बंधित कोई दस्तावेज सांझा नहीं किया जा सकता है।

**Details of First Appellate Authority
Shri A.K.Mishra**

Executive Director (NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Limited, Northern Region -I, HQ
SCO:5-10, Sector-16A, Faridabad (Haryana)-121002
Phone No.0129-2666301

Thanking you.

Yours faithfully,

**[G.P. Payasi]**
Chief General Manager (Project & Engineering)
Designated CPIO, NR-I, POWERGRID,
Faridabad-121102 Phone No.0129-2666305